संख्या-23/2016/2205(2) /71-आयुष-2-2016-39/2016

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 अक्टूबर, 2016

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 मे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/2016/1497/71-आयुष-2-2016-39/2016, दिनांक 11.8.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(6) मे यह उल्लेख किया गया है कि "स्वीकृति धनराशि को राज्य आयुष सोसाइटी के बैक खाते में जमा करने हेतु अग्रिम आहरण हेतु प्रथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।"

2- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 11.8.2016 मे उल्लिखित प्रस्तर-1(6) के स्थान पर "वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-3-2016 के प्रस्तर-8 के अनुसार धनराशि के आहरण की कार्यवाही की जाय" पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-16/2016/1497/71-आयुष-2-2016-39/2016, दिनांक 11.8.2016 इस सीमा तक संशोधित पढा और समझा जाये। उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2016/1497(3)/71-आयुष-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in